Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 30: Revocation of cancellation of registration

(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in ¹[such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed]:

2[****]

(2) The proper officer may, in such manner and within such period as may be prescribed, by order, either revoke cancellation of the registration or reject the application:

[Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31-03-2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22-07-2019.]"

It is clarified by GST [Removal of Difficulties] Order, 2020 [Order No. 1/2020-Central Tax, dt. 25-06-2020.]

It is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of 30 days for filing application for revocation of cancellation of registeration under sub-section (1) of Section 30 of the Act for those registered persons who were served notice under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of Section 169 and where cancellation order was passed up to 12 June, 2020, the later of the following dates shall be considered:

¹ Substituted for "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order" by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

² Proviso omitted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to omission it read as under:

[&]quot;A[Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,-

⁽a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

⁽b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).]"

A Proviso substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier this proviso inserted by CGST (5th Removal of Difficulties) Order, 2019 (Order No. 05/2019–Central Tax) dt. 23-04-2019. Earlier to substitution it read as under:

⁽a) Date of service of the said cancellation order;

⁽b) 31st day of August, 2020."

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- **Provided** that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.
- (3) The revocation of cancellation of registration under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, as the case may be, shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under this Act.

धारा 30 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रिजस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रद्द किया जाता है, 1[ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, ऐसे अधिकारी को] रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

²[.....]

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन को तब तक खारिज नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण माना जाएगा।

"^A[परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसे धारा 169 की उप–धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का रहकरण है, और इसलिए वह तारीख 31. 03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रददकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रिजस्ट्रीकरण के रहकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।]"

केन्द्रीय माल और सेवा का (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2020 [आदेश सं. 1/2020—केन्द्रीय कर] दिनांक 25.06.2020 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है:

किवाईयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रहकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए तीस दिन की अविध की गणना हेतु, वे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप—धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप—धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और 12.06.2020 तक रहकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियों में से उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा :

¹ वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

^{&#}x27;' रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में'

वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा परंतुक विलोपित। वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

[&]quot;^A[परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणें से,-

⁽क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनिधक की अवधि के लिए ; और

⁽ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढाई जा सकेगी।]"

A पहले यह परंतुक केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का पांचवा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 5/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 23.04.2019 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

⁽क) उक्त आदेश के संचार की तारीख, या

⁽ख) अगस्त का 31वाँ दिन, 2020